ई-मेल
20/2/19 5.40 P.M
संलग्नक-5

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।

पत्रांक 2584/14-1 आगरा, दिनांक, 20 ,फरवरी, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :- **अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) कि0मी0 05 की दांयी पटरी पर ग्राम–दौलताबाद के खसरा सं0–30 में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण।**

संदर्भ :- आपका पत्रांक 951/अलीगढ़/26736/2017 दिनांक 05.11.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन संरक्षक, आगरा से प्रस्तावित स्थल की जॉच कराकर यह अवगत कराने की अपेक्षा की गई थी कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल का गैर वानिकी प्रयोग तो नहीं किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र सं0 1353/14–1 दिनांक 05.11.2018, 1516/14–1 दिनांक 30.11.2018 व 2014/14–1 दिनांक 22.01.2019 से जॉचाख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उक्त कम में वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा अपनी पत्र सं0 3443/14–1 दिनांक 14.02.2019 से अवगत कराया है कि "अलीगढ़ प्रभाग के अन्तर्गत अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) कि0मी0 05 की दांयी पटरी पर ग्राम–दौलताबाद के खसरा सं0–30 में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग की जॉच दिनांक 18.01.2019 को श्री आर0के0 यादव, उप प्रभागीय वनाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि विषयांकित संरक्षित पटरी क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण (इण्डियल ऑयल कार्पोरेशन लि0) द्वारा पेट्रोल पम्प तक वाहनों के आने–जाने हेतु सीमेंट के इण्टर लॉकिंग टाइल्स बिछाकर संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है, तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।"

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा से प्रश्नगत मामले में जॉचाख्या मय संलग्नकों व संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 अभय कुमार सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

पत्रांक 2584/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को उनके पत्रांक 3443/14–1 दिनांक 14.02.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 अभय कुमार सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, फिरोजाबाद, सा0वा0प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक 05 / 14-1 दिनांकः फिरोजाबादः जनवरी 21, 2019

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फिरोजाबाद।

विषयः— अलीगढ़ प्रभाग के अन्तर्गत अलीगढ़—मथुरा मार्ग (एस0एच0—80) कि0मी0 05 की दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0—30 में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

संदर्भः— आपके पृष्ठांकन पत्र सं0—1644 / 14—1 दिनांक 17.01.2019।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विषयक प्रस्ताव के साथ संलग्नक ऑनलाइन कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र दिया गया है, परन्तु के0एम0एल0 फाइल के अवलोकन से विदित होता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0मि0) द्वारा प्रस्तावित संरक्षित वन पर गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।

प्रकरण में प्रस्तावित स्थल पर गैर वानिकी कार्य किया गया है अथवा नही ? की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आपके निर्देश के अनुपालन में दिनांक 18.01.2019 को अलीगढ़ प्रभाग के अन्तर्गत अलीगढ़—मथुरा मार्ग (एन0एच0—80) कि0मी0 05 की दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0—30 में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग की स्वयं मौके पर जाकर जांच की गयी। जांच के समय श्री अवधेश पाल, वन दरोगा अलीगढ़ रेंज भी उपस्थित थे। जांच में पाया गया कि विषयगत संरक्षित पटरी क्षेत्र में प्रयोक्ता एजेन्सी (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0मि0) द्वारा पेट्रोल पम्प तक वाहनों के आने जाने हेतु इण्टर लाकिंग ब्रिक्स विछाकर उस संरक्षित पटरी भूमि का प्रयोग किया जा रहा है जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। प्रयोग में लाये जा रहे संरक्षित पटरी क्षेत्र के चारो कोनों पर लिये गये जी0पी0एस0 रीडिंग का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र0 सं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 रीडिंग	
		अक्षांश	देशान्तर
1	2	3	4
1.	अलीगढ़—मथुरा मार्ग (एन0एच0—80) कि0मी0 05 की दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद, अलीगढ़ के खसरा सं0—30 में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग	27° 51′ 01.85″	078° 03′ 27.52″
		27° 51′ 02.00″	078° 03′ 27.01″
		27° 51′ 01.25″	078° 03′ 26.39″
		27° 51′ 01.03″	078° 03′ 26.78″

अतः जॉच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः— 1. मौके पर लिये गये स्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ्स (10 अदद)।

भवदीय

(आर0के0यादव)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
फिरोजाबाद

21/01/019

IndianOil
TOURIST

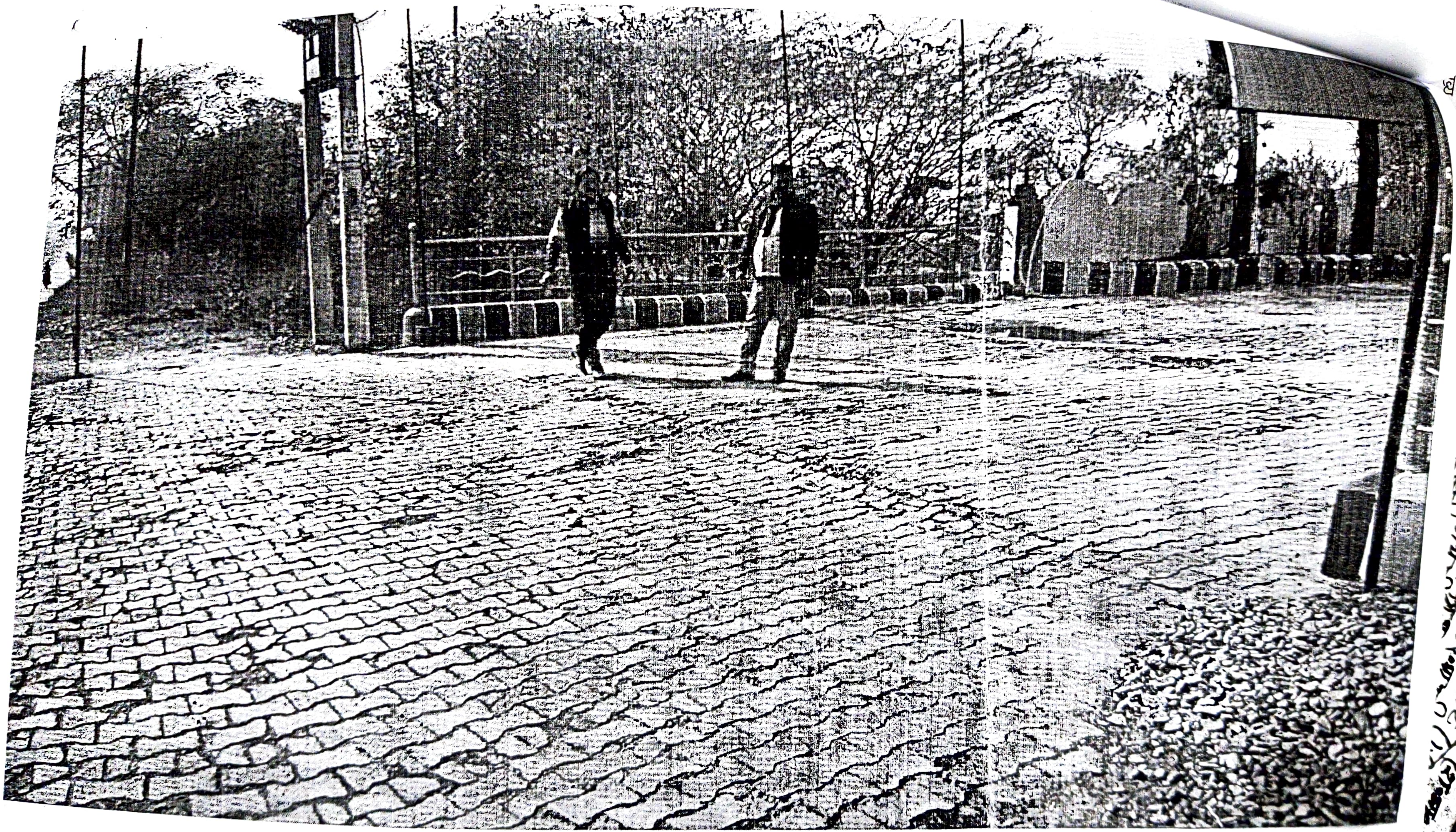

संलग्नक–

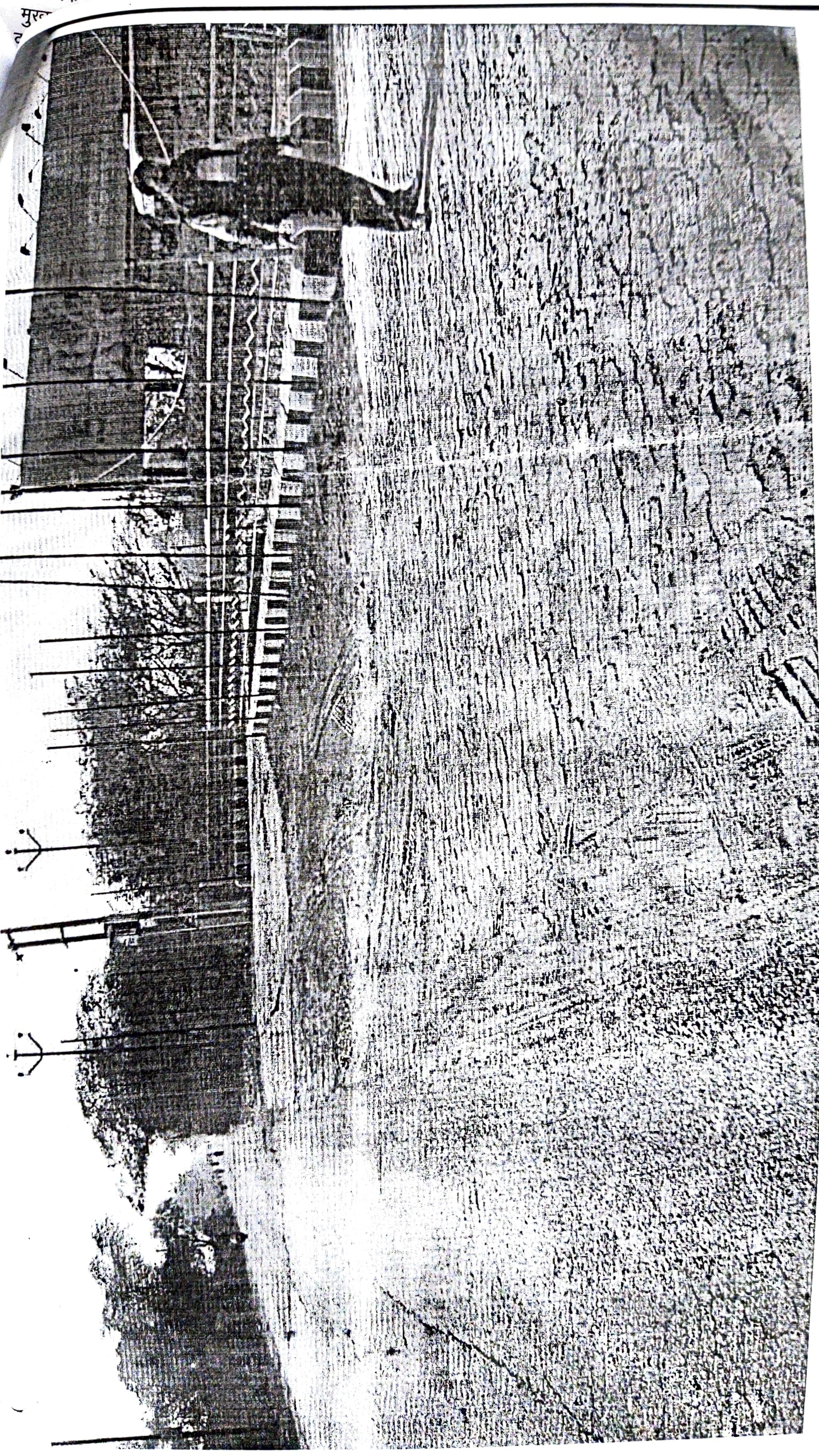

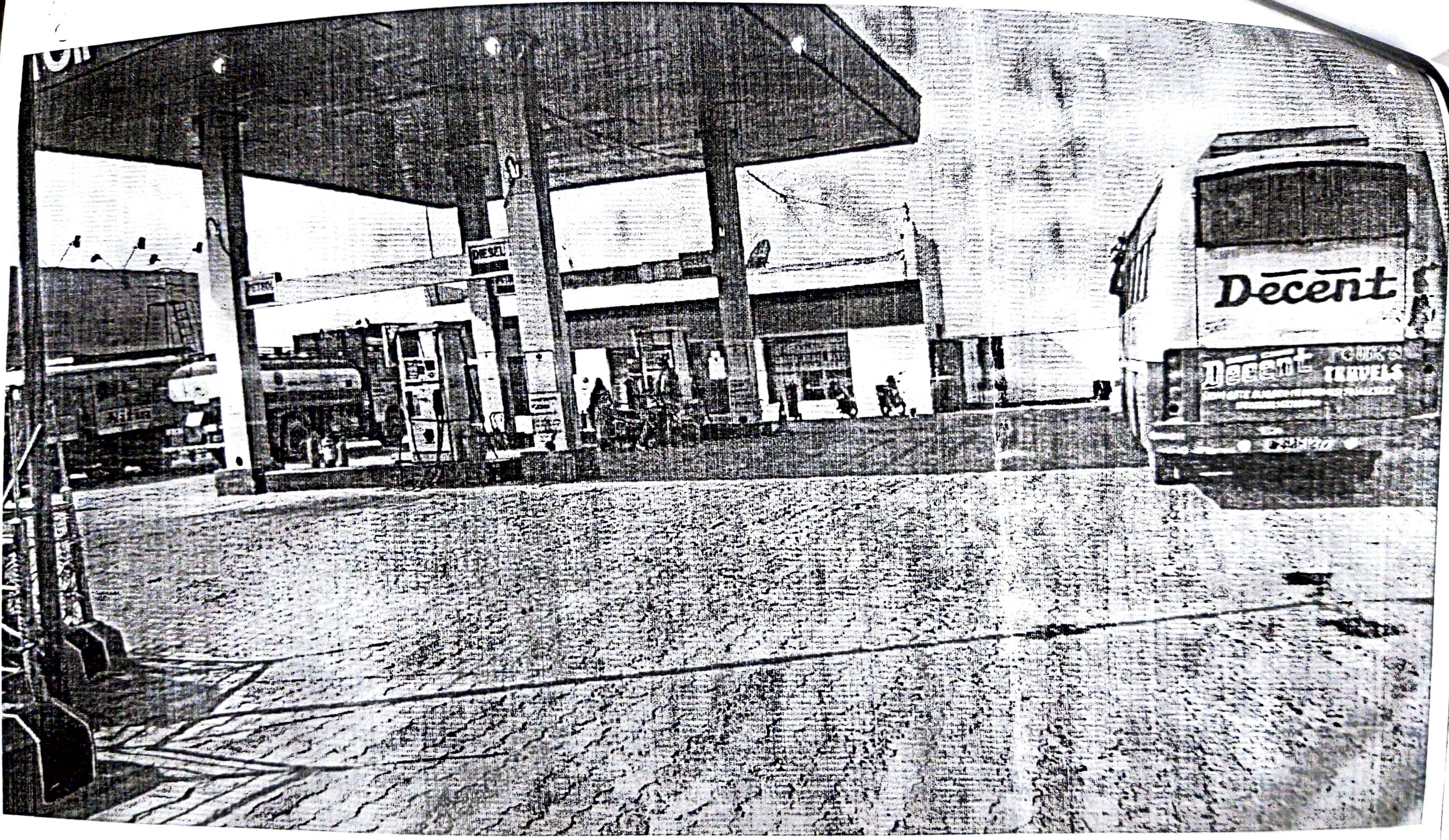
DIESEL
Decent
Decent
TRAVELS

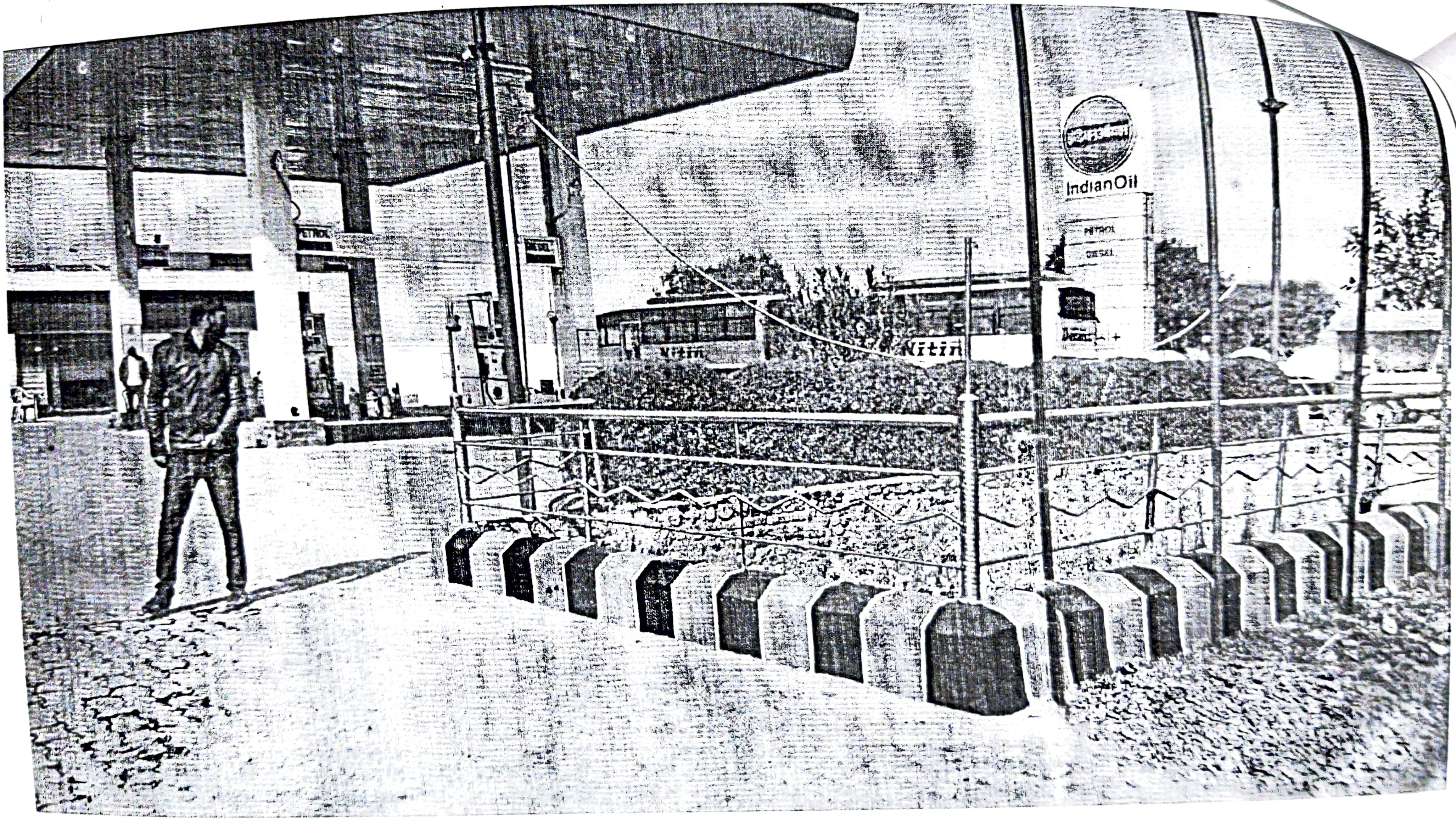
IndianOil
PETROL
DIESEL
Nitin
PETROL
DIESEL